

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	घारा अंतर्गत	प्राप	तहसील
8/20	212 एम	कमिश्नी	29 की
घादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गंगाधर प्रसाद कौश	बनाम	गंगाधर प्रसाद कौश	

वकील :- अशोक मोहन जी एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

10/20
 उक्त मामले में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनी पत्र अंतर्गत घारा 212 एम विरुद्ध अप्रार्थी गणों के उक्त आदेशों में उक्त किया गया। रिजॉर्ड खरिदता का अन्वय को किया प्रकृत दर्ज रजिस्टर किया जाने तथा अप्रार्थी गणों को जरिये अमानत लंबा कर पत्रावली दिनांक 5/2/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 छवड़ा जिला-बारा

5/2/20
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण उक्त को ओर से श्री शंभु शर्मा भागीव एडवो. एवं प्रतिवादी उक्त 2ता 6 को ओर से श्री मंगल कलरिया एडवो. का कमानत नामा पेश पेश हुआ जावेक हेतु समझ-याही गयी है। वास्ते जावेक पत्रावली दिनांक 10/2/20 को पेश हो।

10/2/20
 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी गणों को ओर से जावेक पेश नहीं हुआ समझ-याही है। वास्ते जावेक पत्रावली दिनांक 10/3/20 को पेश हो।

10/3/20
 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादी गण को ओर से जावेक पेश नहीं हुआ समझ-याही है। एक अक्सर और दिया जाता है। उक्त नियत दिनांक को जावेक पेश नहीं होने पर एक पक्षीय सुनवाई जावेगी। वास्ते जावेक पत्रावली दिनांक 10/3/20 को पेश हो।

